बगैर इथेनॉल के पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क टला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिना इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल-डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने के फैसले को टाल दिया है। वित्त मंत्रालय की गजट अधिसूचना में कहा गया है, अब यह एक माह बाद नवंबर से लागू होगा। बायो-डीजल के मिश्रण के बिना बिक्री वाले डीजल पर यह शुल्क छह माह बाद एक अप्रैल, 2023 से लागू होगा। ब्यूरो

सरकार इथेनॉल एवं बायो-डीजल के मिश्रण वाले ईंधन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिना मिश्रण वाले पेट्रोल व डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी में है, पर इस फैसले को लागू करने के लिए उद्योग समुदाय को अधिक समय देने की कवायद के तौर पर समयसीमा को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है।